विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर

जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16–बिन्दुओं पर सूचना

क्र0 सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	2	3
1.	अपने संगठन की विषिष्टियॉ कृत्य और कर्तव्य	विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति कराना उनकी समस्याओं का समाधान करना, राजस्व वसूली तथा उपभोक्ताओं की समस्या समाधान हेतु स्थान–स्थान पर उपभोक्ता सेवा षिविरों का आयोजन करना/षहर में प्रत्येक खण्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थाई वसूली केन्द्र खोलना। विद्युत बिलों का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्व विच्छेदन/वसूली की कार्यवाही करना विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत ग्रामों का विद्युतीकरण तथा विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामों व शहरों में विद्युतीकरण का कार्य कराना। कृषकों को सामान्य योजना के तहत रियायती दरों पर निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण कराना। विभाग से सम्बधिंत दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक व मासिक सूचनायें उच्चाधिकारियों एंव प्रषासन को प्रेषित किया जाता है।
2.	अपने अधिकारियो/कर्मचारियों की शक्तियॉ एंव कर्तव्य	विद्युत विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन लि0 में कार्य करते है जो कि उत्तर प्रदेष सरकार का उपक्रम है तथा राज्य सरकार/ उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन लि0 लखनऊ द्वारा निर्गत नियमों/आदेषो के अन्तर्गत कार्य करते है।
3.	विनिष्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली, प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रम से निम्न अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है, अधीक्षण अभियन्ता, अधिषासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक, षिविर सहायक, लाईनमैन, एस0एस0ओ0, जे0एम0टी0, पेट्रोलमैन, कुली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा निर्धारित मापमान	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर जनपद बिजनौर के नियन्त्रण अधिकारी है जिनके नियन्त्रण में सभी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी विभागीय कार्य सम्पन्न करते है।
5.	अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम, अनुदेष निर्देषिका और अभिलेख।	शासन तथा उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण सुरक्षित रखे जाते है जिनका नियमानुसार अवलोकन किया जाता है तथा कार्यवाही की जाती है।
6.	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन तथा उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण सुरक्षित रखे जाते है जिनका नियमानुसार अवलोकन किया जाता है तथा कार्यवाही की जाती है।
7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्ष या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	यह कार्यालय प्रबन्ध निदेषक, पष्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ के निर्देषन में कार्य करता है। शासन/विभाग द्वारा जन–हित एंव जनता की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न समितियॉ बनाई गई है जिनका क्रियान्वयन समय पर नियमानुसार किया जाता है।
8	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो और यह विवरण की क्या इन बार्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।	विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–166 की उपधारा (5) के अधीन जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर तथा सदस्य मुख्य विकास अधिकारी तथा छः अन्य अधिकारी सदस्य है एंव जिलाधिकारी द्वारा नामित दो–दो सदस्य औद्योगिक सस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं एंव जिले के दो प्रगतिषील किसान सदस्य होगें। समितिः– 1. विद्युतीकरण के कार्य का समन्वय एंव समीक्षा। 2. विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एंव उपभोक्ता की सन्तुष्टि की समीक्षा। 3. विद्युत दक्षता एंव संरक्षण को बढावा देने का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त विद्युत विमरण मण्डल, बिजनौर में एक व्यथा निवारण समिति का भी गठन किया गया है जिसके पीठासीन अधिकारी स्वंय अधीक्षण अभियन्ता होते है या उनके द्वारा नामित अधिषासी अभियन्ता स्तर का अधिकारी पीठासीन अधिकारी होता है।
9.	अपने अधिकारयों एंव कर्मचारियों की निर्देषिका	विद्युत विभाग के समस्त कर्मचारी व अधिकारी राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन लि0 द्वारा निर्गत निर्देषानुसार कार्य करते है तथा निर्देषो का पालन करते है।

क्रमश 2

क्0 सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	2	3
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के त्रैमासिक आकडें मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद, प्रबन्ध निदेषक पष्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 मेरठ तथा मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित किये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विषिष्टियॉ उपदर्षित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	विद्युत खण्ड कार्यालयों एंव मण्डल कार्यालयों को बजट उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन लि0 लखनऊ तथा पष्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 मेरठ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा प्रत्येक माह मासिक लेखा प्रेषित कर व्ययों का विवरण उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाता है।
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवटित राषि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधिंत है।	शासन एंव विद्युत नियामक आयोग के निर्देषानुसार एक मुष्त समाधान योजना लागू की जाती है जिसमें नियमानुसार उपभोक्ताओं को ब्याज में छूट प्रदान की जाती है तथा बुनकरों को शासन के निर्देषानुसार फ्लैट रेट पर विद्युत बिल बनाये जाते है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विषिष्टियों	शासन / उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन लि0 के निर्देषो पर उपभोक्ताओं पर विद्युत बकाया पूर्ण के भुगतान पर नियमानुसार ब्याज में छूट अथवा विभिन्न श्रेणी जैसे बुनकरों आदि के बिलों में भुगतान में रियासत दी जाती है जिसका पूर्ण प्रचार प्रसार कर योजना को सफल बनाया जाता है।
14.	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों	विभाग से सम्बधिंत समस्त सूचनायें बेबसाईट पर तथा हार्ड कापी में उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती है किसी योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रिन्ट मीडिया तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया का सहयोग भी लिया जाता है।
15.	सूचना अभी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विषिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या लालच कक्ष के यदि लोक उपयों के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घन्टें सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है।
16.	जनसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विषिष्टियॉ	1. श्री डी0आर0 विमेलष, जनसूचना अधिकारी, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर। 2. श्री आई0पी0सिंह, जनसूचना अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, बिजनौर। 3. श्री राकेष कुमार, जनसूचना अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, नजीबाबाद। 4. श्री अनिल कुमार, जनसूचना अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर। 5. श्री राकेष मोहन, जनसूचना अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, चान्दपुर।

(अधीक्षण अभियन्ता)